संख्या-74 /2023/001-918-22-4-2023-1754501

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 12 दिसम्बर, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश की कारागारों में प्रबंध व्यवस्था को संचालित करने हेतु विभिन्न मशीनों, उपकरणों/सामग्री की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30343/आधु-2/26-मशीन साज सज्जा, दिनांक 09-10-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2023-24 में प्रदेश की 22 कारागारों में 2200 नग सीलिंग फैन, 54 कारागारों में 115 नग रेफ्रिजरेटर, 40 कारागारों में 120 नग इन्वर्टर विद बैट्री, 20 कारागारों में 40 नग एल0 ई0 डी0 टीवी 43 इंच, जिला कारागार फिरोजाबाद में हाई मास्ट लाइट तथा कैराना, शामली के जिला एवं सत्र न्यायालय में वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष हेतु 02 टन का एक नग एयर कन्डीशनर की व्यवस्था हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि रू0 129.086 लाख को पूर्णांक करने पर **रू0 129.09 लाख (रूपये एक करोड़ उनतीस लाख नौ हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	उपकरण/मशीन/सामग्री का नाम	कारागारों की संख्या	प्रस्तावित संख्या (नग)	दर प्रति	कुल लागत (धनराशि रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	सीलिंग फैन	22	2200	2188	48.136
2	रेफ्रिजरेटर	54	115	25000	28.75
3	इन्वर्टर विद बैट्री	40	120	31500	37.80
4	एल0ई0डी0 टी0वी0-43 इंच	20	40	30000	12.00
5	हाई मास्ट लाइट का 01 टावर	01	01	185000	1.85
6	ए0सी0 02 टन	01	01	55000	0.55
योग					**129.09**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरण / सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गयी व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा।

(2) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरणों के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) महानिरीक्षक, कारागार कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों के मेक / मॉडल / स्पेशिफिकेशन एवं संख्या के सम्बन्ध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) महानिरीक्षक, कारागार उपकरणों की अनुमन्यता, आवश्यकता, गुणवत्ता, कीमत, क्रय प्रक्रिया तथा शासकीय प्रयोजन हेतु उनकी अपरिहार्यता के विषय में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

(6) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जाएगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जाएगा।

(7) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 17.03.2023 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनाँक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाए।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा विवरणानुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 129.09 लाख (रुपये एक करोड़ उन्तीस लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008002600 समस्त कारागार **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-389-X-2023-24, दिनांक: 7.12.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

संख्या- 74 /2023/001-918(1)/22-4-2023-1754501, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निजी सचिव,मा0राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।

(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।